भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 402
दिनांक 03 दिसंबर, 2025 / 12 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

चक्रवात मोन्था से हुई तबाही

402. श्री गोला बाबूराव:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अक्टूबर, 2025 में आए भयंकर चक्रवात मोन्था के कारण विशेषकर तटीय आंध्र प्रदेश में मूसलाधार बारिश हुई, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 50,000 हेक्टेयर में खड़ी फसलों का नुकसान हुआ, 1.4 लाख बागवानी फसलें नष्ट हुईं, सड़के व भवन भतिग्रस्त हुए, विद्युत प्रसारण लाइनें टूट गईं और लाखों लोग बेघर हो गए;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने नुकसान का संशोधित अनुमान ₹ 6,384 करोड़ लगाया है और तत्काल राहत के रूप में ₹ 900 करोड़ की मांग की है;

(ग) क्या क्षति का आकलन करने के लिए 8-सदस्यीय केंन्द्रीय दल ने आंध्र प्रदेश का दौरा किया; और

(घ) यदि हां, तो दल द्वारा की गई सिफारिशें क्या थीं और सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश को राहत तथा पुनर्वास कार्यों के लिए दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): जी हाँ। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन के अनुसार, चक्रवात 'मोंथा' के कारण 1.61 लाख हेक्टेयर कृषि और 6250 हेक्टेयर बागवानी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, जहाँ फसलों को 33% या उससे अधिक का नुकसान हुआ है। हालाँकि, आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने ज्ञापन में कुल 6355.60 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया था, और इसमें से 902 करोड़ रुपये की राशि तत्काल राहत के लिए एनडीआरएफ से मांगी गई है।

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 402, दिनांक 03/12/2025

देश में प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर संस्थागत तंत्र मौजूद हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति के अनुसार, आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। केंद्र सरकार राज्यों को उनके प्रयासों में मदद करने के लिए हर संभव लॉजिस्टिक और वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ताकि स्थिति से प्रभावकारी ढंग में निपटा जा सके। राज्य सरकारें चक्रवात सहित प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर, पहले से ही अपने पास उपलब्ध राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से नुकसान का आकलन करती हैं और वित्तीय राहत प्रदान करती हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर आकलन शामिल है। प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के तहत वित्तीय सहायता राहत के रूप में दी जाती है, न कि दावा किए गए नुकसान की भरपाई के लिए।

राज्य के प्रभावित लोगों की सहायता के लिए, वित्तीय वर्ष 2025-26 में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को एसडीआरएफ के तहत 1449.60 करोड़ रुपये की राशि (1088 करोड़ रु. का केंद्रीय अंश + 361.60 करोड़ रुपये का राज्य अंश) का आवंटन किया गया है। 544.00 करोड़ रुपये के केंद्रीय अंश की पहली किस्त दिनांक 27.11.2025 को जारी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने 1 अप्रैल, 2025 की स्थिति के अनुसार अपने एसडीआरएफ खाते में 3159.52 करोड़ रुपये का प्रारंभिक शेष होने की सूचना दी है।

हाल ही के मामले में, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से ज्ञापन प्राप्त होने से पहले ही, गृह मंत्रालय द्वारा एक आईएमसीटी गठित कर दी गई थी, जिसने 10 से 11 नवंबर, 2025 तक राज्य के चक्रवात 'मोंथा' से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। आईएमसीटी से रिपोर्टे प्राप्त होने पर, एनडीआरएफ के अंतर्गत अतिरिक्त वित्तीय सहायता पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जाता है।

*****